

कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय

प्लाट नं०-१८, सेक्टर-७, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ
e-mail: diruplb@gmail.com, website: www.localbodies.co.in

पत्र संख्या— ३३४ /०२ /OM&M Cell/2021-22

दिनांक: २४ मार्च, 2022

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।
2. सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।
3. निदेशक,
नगरीय निकाय, निदेशालय,
लखनऊ।
4. सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या—शासनादेश संख्या—५४८३/नौ—५—२०१७— ४४७सा/२०१७ दिनांक १२.०२.२०१८ द्वारा कुल ०४ जोन— लखनऊ, गोरखपुर (गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर), आगरा एवं गाजियाबाद (गाजियाबाद, पिलखुआ, लोनी, अनूपशहर, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर) हेतु वन सिटी—वन आपरेटर सिद्धान्त पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एस.टी.पी.) व इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक (१० वर्ष) के संचालन, रख—रखाव एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है।

२. उक्त कार्य के लिए आबद्ध फर्म को कार्य/सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत Payment Certificate/Bill के भुगतान एवं सैटेलमेन्ट की संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या—५०४/नौ—५—२०२०—३९४सा/२०१८ दिनांक ०३.०२.२०२० द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गयी है।

१	प्रमेय सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
२	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
३	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
४	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र०	सदस्य—सचिव
५	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
६	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

३. लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं गोरखपुर जोन के लिए एजेण्डा—वार फर्म द्वारा कराये गये कार्यों एवं प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष जल निगम से प्राप्त प्रमाणित बिलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक अपर प्रमुख सचिव, नगर विकास, की अध्यक्षता में दिनांक ०७.०३.२०२२ को अपराह्न ०३:३० बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में आहूत की गयी थी। अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित आहूत बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


(मनीष कुमार सिंह)
सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि—

१. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, को महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
२. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—९, उ०प्र० लखनऊ।
३. मुख्य अभियन्ता (लखनऊ/गाजियाबाद/आगरा/गोरखपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम।
४. महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
५. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा एवं गाजियाबाद।
६. महाप्रबन्धक, जल कल विभाग (नगर निगम), लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या एवं गाजियाबाद एवं अन्य संबंधित शहर।
७. अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर एवं अयोध्या।


सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की दिनांक 07.03.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस0टी0पी0 व इससे सम्बन्धित मेन पम्पिंग स्टेशन, इंटररमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-2319 / नौ-5-2019 -394सा / 2018 दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-849 / नौ-9-19-89ज / 2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रु0 250.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-2748 / नौ-9-20-89ज / 2001, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनर्रक्षित बजट रु0 350.00 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी हैं। उ0प्र0 जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-504 / नौ-5-2020-394सा / 2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की हैं।

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
4	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
5	उप/सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
6	मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव

उक्त समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 07.03.2022 को अपराह्न 03:30 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवं एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा निम्नवत है:

एजेन्डा (i) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या का अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया। समस्त बिन्दुओं पर दिये गये निर्देशों का विस्तृत विवरण निम्नवत हैः-

विन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष / अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
1	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 13.12.2021 को बैठक सम्पन्न हो गयी है तथा साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि बैठक के पश्चात आवश्यक सचिवना एकत्रित	दिनांक 14.12.2021 को अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 24.01.2022 एवम पुनः 05.02.2022 को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०० जल निगम (नगरीय), लखनऊ/ सचिव, नगर	मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव व कन्सलटेन्ट, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत संचालित संयंत्रों में पावर फैक्टर के सुधार हेतु उ०प्र०० जल निगम में कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध

बिन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके आधार पर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।</p> <p>अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा पावर फैक्टर बढ़ाने एवं मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से सम्बन्धित कार्यों को अपने स्तर से चिन्हित करने के निर्देश प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को दिये गये।</p> <p>उक्त पर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से सम्बन्धित कार्यों को उनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चिन्हांकन करा लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट समिति के अनुमोदनार्थ अन्य एजेण्डा बिन्दु सं० 1.3 में प्रस्तुत है।</p> <p>1.1— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि अगले 15 दिनों में मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड अथवा रुटीन मैटिनेन्स में जो भी आवश्यक कार्य पावर फैक्टर के सुधार तथा विद्युत बिल को कम करने हेतु कराये जाने हैं उनको प्राथमिकता पर करा लिया जाये जिससे माह जनवरी—2022 तक इसमें सुधार परिलक्षित हो।</p> <p><u>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।</u></p>	<p>विकास विभाग की अध्यक्षता में समस्त सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय) एवं मुख्य अभियन्ता (वि०/यां०) के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में ओ०एम०एण्ड एम० सेल से श्री मनीष कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता एवं श्री संजय कुमार सिंह, कन्सल्टेन्ट उपस्थित थे। मुख्य अभियन्ता (वि०/यां०) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि वन सिटी वन ऑपरेटर के अन्तर्गत समस्त एस०टी०पी० एवम् पर्मिंग प्लान्ट की सूची बना ली गयी है जिन प्लॉन्टों पर पावर फैक्टर कम है उनको चिन्हित कर लिया गया है। बैठक में प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त विद्युत से संचालित पम्प एवम् एस०टी०पी० पर न्यूनतम ०.९५ पावर फैक्टर अथवा इससे अधिक रखने का प्रयास किया जाए, इसके लिये जो भी आवश्यक मेजर अथवा माइनर रिपेयर के कार्य हो उनको शीघ्र करा लिया जाए। समस्त सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि पावर फैक्टर में सुधार हेतु एवम् विद्युत बिलों में कमी लाये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये जिन प्लॉन्टों पर पावर फैक्टर उचित होने के बाबजूद विद्युत का बिल अधिक आ रहा हो उनका Energy Audit कराने के निर्देश दिये गये।</p> <p>बैठक में मुख्य अभियन्ता (वि०/यां०) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। माह मार्च—2022 से इसका असर दिखने लगेगा।</p>	<p>निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी है।</p> <p>मुख्य अभियन्ता (वि०/यां०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि वन सिटी वन ऑपरेटर के अन्तर्गत समस्त एस०टी०पी० एवम् पर्मिंग प्लान्ट की सूची बना ली गयी है जिन प्लॉन्टों पर पावर फैक्टर कम है उनको चिन्हित कर लिया गया है। उ०प्र० पावर कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किसी भी स्थान पर पावर फैक्टर ०.९० से कम नहीं होना चाहिये, इसलिये इसे ०.९० से अधिक रखने हेतु कार्यवाही की जा रही है। पावर फैक्टर में सुधार हेतु कार्यवाही करते हुये यह प्रयास किया जा रहा है कि माह मार्च 2022 से विद्युत बिल में कमी परीक्षित होने लगे।</p> <p>अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि पावर फैक्टर में सुधार एवम् विद्युत बिल में कमी के लिये किये जाने वाले आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराया जाए जिससे मार्च—2022 से विद्युत बिल में इसका असर परिलक्षित हो सके।</p> <p><u>कार्यवाही:-प्र०नि०, उ०प्र० जल निगम/म०अभि०(वि०/यां०) नगरीय।</u></p>
3	<p>प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक पत्र सं०-२४१ / २ / OM&M / 21-22 दिनांक 26.10.2021 द्वारा जारी मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कराये जाने वाले कार्यों के चिन्हांकन हेतु निर्गत कार्यवृत्त को मा० अध्यक्ष,</p>	<p>बैठक में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा समस्त सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक को निर्देश दिये गये कि मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 16.08.2021 के पूर्व कराये जा चुके</p>	<p>मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि वन सिटी वन ऑपरेटर के अन्तर्गत मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड सेदनांक 16.08.2021 के पूर्व स्वीकृति की प्रत्याशा में कराये जा चुके कार्यों एवम् दिनांक 16.08.2021 के पश्चात कराये जाने वाले अथवा कराये</p>

बिन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>बैठक में मुख्य अभियन्ता/ सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य अभियन्ता (ल.क्ष.) के पत्र संख्या-1936 /मु.अभि. (ल.क्ष.) कार्य -45/247 दि० 10.12.21 मुख्य अभियन्ता (आगरा) के पत्र सं० 3929/47/371 दिनांक 14.12.21 द्वारा एस.टी.पी. एवं एस.पी.एस. हेतु प्राथमिकता तय कर प्रेषित कर दी गयी है। सीवर नेटवर्क हेतु नगर आयुक्त द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की गयी है।</p> <p>3.1- अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समिति नगर आयुक्त से सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।</p> <p><u>कार्यवाही:-सदस्य सचिव, मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल /संबंधित नगर आयुक्त।</u></p> <p>मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड हेतु प्रेषित प्रस्ताव में लेबर एवं जी०एस०टी० सम्मिलित किया गया है जिसके कारण प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करना संभव नहीं हो पा रहा है।</p> <p>3.2- अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि फर्मों के साथ प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर ली जाये जिसमें मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, श्री संजय कुमार सिंह (सलाहकार, ओ०एम० एण्ड एम० सेल), व श्री सौरभ श्रीवास्तव (अधिशासी अभियन्ता) ओ०एम० एण्ड एम० सेल सदस्य होंगे। बैठक में इस विषय में उनको स्पष्टता प्रदान की जाये।</p>	<p>कार्यों के सम्बन्ध में अभिलेख निर्धारित एस०ओ०पी० के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु उ०प्र० जल निगम, मुख्यालय प्रेषित किया जाए।</p> <p>लखनऊ शहर में दिनांक 16.08.2021 से पूर्व कराये गये कार्यों, अनुमानित लागत रु. 26.32 लाख की स्वीकृति हेतु दिनांक 21.02.2022 को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी हैं, शीघ्र ही इन पर अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत एस्क्रो एकाउंट से भुगतान हेतु आवश्यक अंतिम कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि एस्क्रो एग्रीमेन्ट के अनुसार एस्क्रो एकाउंट के तीन ज्वाइंट होल्डर हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> ओ०एम०एण्ड एम० सेल, स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सहायक निदेशक (लेखा)। सम्बन्धित फर्म। सम्बन्धित बैंक। <p>अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि दिनांक 16.08.2021 के पश्चात सीवर नेटवर्क व एस०पी०एस०/एम०पी०एस० हेतु कराये गये मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड (एस्क्रो एकाउंट) के अंतर्गत अनुमन्य रु० 50 लाख से ऊपर के कार्यों का भुगतान आदेश प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा एवम् रु० 50 लाख तक कराये गये कार्यों का भुगतान आदेश संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम द्वारा एवं नगर पालिका परिषद की स्थिति में वित्तीय स्वीकृति देने वाले संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा भुगतान आदेश निर्गत करते हुए</p>	

बिन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष / अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / औ०एम०एण्ड एम० सेल</p> <p>प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 16.08.2021 से पूर्व मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत जो कार्य स्थीकृति की प्रत्याशा में कराये जा चुके हैं, उन कार्यों के औचित्य, किस स्तर से स्थीकृति प्राप्त है एवं तकनीकी परीक्षण हेतु समिति गठित की गयी है, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।</p> <p>3.2— अध्यक्ष / अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त समिति अपनी रिपोर्ट 10 दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रेषित करे तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ESCROW हेतु बैठक आगामी माह में करायी जाये।</p> <p>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / सदस्य सचिव — मुख्य अभियन्ता औ० एम० एण्ड एम० सेल।</p>	<p>आयुक्त द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। दिनांक 24.01.2022 को बैठक में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा वर्चुवल रूप से जुड़े नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ / आगरा एवं महाप्रबन्धक, जलकल को निर्देश दिया गया कि मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता पर चिन्हित कर अग्रेतर कार्यवाही करायी जाये।</p> <p>गाजियाबाद एवम् आगरा क्षेत्र में दिनांक 16.08.2021 से पूर्व कराये जा चुके कार्यों के सम्बन्ध में उ०प्र० जल निगम एवं सम्बन्धित फर्म मैसर्स वी०ए०टेक वाबाग के बीच कुछ भ्रांतियों एवम् विवाद के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इन भ्रांतियों एवम् विवाद को शीघ्र सुलझाने हेतु बैठक में उपस्थित श्री पंकज सचदेवा, सी०ई०ओ०, को निर्देशित किया गया कि समस्त अभिलेखों के साथ श्री एच०क०क०सल, मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद / आगरा क्षेत्र) के साथ बैठकर प्रकरण का शीघ्र निराकरण करा लिया जाए।</p> <p>मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कार्य कराने हेतु एवं पूर्ण कराये जा चुके कार्यों के भुगतान हेतु समस्त क्षेत्र को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>आदेश की प्रति सहायक निदेशक (लेखा) / औ०एम०एण्ड एम० सेल को उपलब्ध कराया जायेगा। भुगतान आदेश निर्गत करने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में मानक व गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र फील्ड स्तर से प्राप्त कर लिये जायें। रु० 50 लाख से ऊपर के सीवर नेटवर्क के कार्यों के मानक व गुणवत्ता का प्रमाणपत्र क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा किया जायेगा। नगर आयुक्त द्वारा अपने अधीनस्थ महाप्रबन्धक जलकल से मेजर रिप्लेसमेन्ट के कार्यों के मानक व गुणवत्ता का सत्यापन कराते हुए मानक व गुणवत्ता का प्रमाणपत्र दिया जायेगा। रु० 50 लाख तक के सीवर नेटवर्क के कार्यों में मानक व गुणवत्ता का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (उ०प्र० जल निगम-नगरीय) द्वारा दिया जायेगा। नगर पालिका परिषद की स्थिति में सीवर नेटवर्क हेतु मानक व गुणवत्ता का प्रमाणपत्र संबंधित क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता / महाप्रबन्धक उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा निर्गत किया जायेगा।</p> <p>दिनांक 16.08.2021 के पश्चात एस०टी०पी० हेतु कराये गये मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड (एस्क्रो एकाउंट) के अंतर्गत अनुमन्य रु० 20 लाख से ऊपर के कार्यों का भुगतान आदेश प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा एवम् रु० 20 लाख तक कराये गये कार्यों का भुगतान आदेश संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा भुगतान आदेश निर्गत करते हुए आदेश की प्रति सहायक निदेशक (लेखा) / औ०एम०एण्ड एम० सेल को उपलब्ध कराया जायेगा।</p>

बिन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
			<p>एस0टी०पी० व एस0पी०एस0 हेतु कराये गये कार्यों के मानक व गुणवत्ता का प्रमाणपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (उ०प्र० जल निगम- नगरीय) व संबंधित क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता / महाप्रबंधक उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा निर्गत किया जायेगा।</p> <p>यह भी निर्देश दिये गये कि मानक व गुणवत्तापूर्ण प्रमाण- पत्र का एक प्रारूप ओ०ए०० एण्ड ए०० सेल द्वारा प्रसारित किया जायेगा।</p> <p><u>कार्यवाही:-प्र०नि०, उ०प्र० जल निगम/सम्बन्धित नगर आयुक्त/ओ०ए००ए०० ए०० सेल/ सम्बन्धित मु०अभि०, उ०प्र० जल निगम, नगरीय/ संबंधित अधिकारी/ अधिकारी ।</u></p>
4	<p>मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) ने अपने पत्र सं०- 1937/मु०अभि० (ल०क्ष०) / विविध -13/125 दिनांक 10.12.2021 द्वारा कुछ क्षेत्र में सीवर नेटवर्क का विस्तृत निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।</p> <p>मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 489 स्थलों पर पानी की पेयजल की लाइन सीवर से होकर जाती है जिसमें से 108 स्थलों पर जलकल विभाग द्वारा पेयजल की लाइन को सीवर लाइन से हटाया गया है तथा शेष 381 स्थलों हेतु मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कार्य कराये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>4.1- अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पेयजल की लाइन की शिपिटंग का कार्य प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक द्वारा मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की चिन्हांकन हेतु पत्र संख्या- 241/2/OM&M/</p>	<p>मात्र लखनऊ शहर में कुछ कार्य जहाँ सीवर लाइन एवम् पेयजल आपूर्ति लाइन एक दूसरे के सम्पर्क में थी उनको चिह्नित करते हुये कुछ कार्य जलकल विभाग द्वारा कराये गये हैं।</p> <p>अन्य किसी भी शहर में सीवर लाइन एवम् पेयजल आपूर्ति लाइन का सर्वेक्षण कर आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। इस सम्बन्ध में समस्त शहरों में जहाँ सीवर लाइन एवम् पेयजल आपूर्ति लाइन बिल्कुल पास-पास हैं और उनमें लीकेज की समस्या है, ऐसे स्थानों को चिह्नित कर दोनों लाइनों को अलग करने के लिए कार्यवाही किया जाना अतिआवश्यक है जिससे लखनऊ स्थित बालू अड्डा जैसी घटना भविष्य में किसी अन्य शहर में न हो। यह कार्यवाही आगामी ग्रीष्म ऋतु से पूर्व पूर्ण किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा सम्बन्धित महाप्रबन्धक जलकल एवं नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।</p>	<p>समयाभाव के कारण विचार नहीं किया गया।</p>

बिन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>21-22 दिनांक 26.10.2021 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के अनुसार कार्यवाही की जाये।</p> <p><u>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०० जल निगम (नगरीय) / निदेशक, स्थानीय निकाय/मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष००) उ०प्र०० जल निगम (नगरीय) /नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक, जलकल</u></p> <p>मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०० जल निगम (नगरीय) के पत्रांक-2507/नागर-२ /०३३- वन सिटी वन ऑपरेटर /21 दिनांक 10.12.2021 द्वारा संबंधित नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल की जिम्मेदारी तय करते हुये समान्य निर्देश जारी किये गये।</p> <p>4.2- अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संबंधित महाप्रबन्धक, जलकल को निर्देश दिये गये कि सीवर रखरखाव हेतु रेगुलर एवं प्रीवेन्टिव मैन्टेनेन्स के कार्यों के चिन्हांकन हेतु नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर कार्यवाही अगली प्रस्तावित बैठक से पूर्व करा ली जाये। निदेशक, स्थानीय निकाय अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करेंगी।</p> <p><u>कार्यवाही:- निदेशक, स्थानीय निकाय/सम्बन्धित नगर आयुक्त /महाप्रबन्धक, जलकल</u></p> <p>4.3- साथ ही अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०० जल निगम (नगरीय) को निर्देश दिये गये कि 10 लाख की आबादी से अधिक वाले नगर निगमों एवं गोरखपुर नगर निगम से उक्त सूचना प्राप्त कर समिति के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत करें।</p> <p><u>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०० जल निगम (नगरीय)</u></p>	<p>सीवर नेटवर्क के उचित रखरखाव हेतु प्रीवेन्टिव एवं रेगुलर मैन्टेनेन्स के कार्यों के चिन्हांकन हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम की अध्यक्षता में बैठक किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी नगर द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है। प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०० जल निगम (नगरीय) द्वारा बैठक में वर्चुअल से उपस्थित महाप्रबन्धक, जलकल एवं नगर आयुक्त को निर्देश दिये गये कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित रेगुलर एवं प्रीवेन्टिव मैन्टेनेन्स के कार्यों को प्राथमिकता पर चिन्हांकित कराकर अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र करायी जाये।</p>	
5	श्री संजय कुमार सिंह (सलाहकार, ओ०एम० एण्ड एम० सेल) द्वारा	श्री संजय कुमार सिंह, कन्सल्टेन्ट द्वारा अवगत कराया गया कि श्री	समयाभाव के कारण विचार नहीं किया गया।

बिन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>अवगत कराया गया कि गाजियाबाद जोन के शेष एस०टी०पी० का निरीक्षण तिथि दिनांक 27 व 28.12.2021 निर्धारित की गयी है। श्री सिंह (सलाहकार, ओ०एम० एण्ड एम० सेल) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कमेटी ने फीकल कॉलीफार्म रिमूवल हेतु श्री डी०पी० सिंह (एक्पर्ट) द्वारा सुझाव दिये गये हैं जिसे क्रियान्वित कर फीकल कॉलीफार्म को मानक के अनुरूप शोधन किया जा सकता है।</p> <p>5.1- अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्त कार्य दिनांक 16.08.2021 की बैठक में मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति हेतु अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत सम्पादित कराये जायें।</p> <p><u>कार्यवाही:- मुख्य अभियन्ता (गाझौ)</u> <u>उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</u></p> <p>अग्रेतर मुख्य अभियन्ता (ओ०एम०एण्ड एम० सेल)/सदस्य सचिव तथा श्री संजय कुमार सिंह, सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि कमेटी, जिसमें मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद एवं अन्य प्रतिनिधि, श्री संजय कुमार सिंह, कंसल्टेन्ट, ओ०एम० एण्ड एम० सेल, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद एवं श्री डी०पी० सिंह, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम सदस्य हैं, की दिनांक 22.11.2021 एवं 23.11.2021 के निरीक्षण की आख्या के अनुसार लोनी 30 एम०एल०डी एस० टी०पी० मे कुछ यूनिट काम नहीं कर रहे थे उसके उपरान्त भी टेस्ट रिपोर्ट्स मानक के अनुसार दर्शायी गयी जोकि संभव नहीं है। इसी प्रकार सहारनपुर 38 एम०एल०डी एस०टी०पी० पर निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के समय एस०टी०पी० की दशा अत्यन्त दयनीय पायी गयी तथा</p>	<p>डी०पी०सिंह, एक्स्पर्ट के उपलब्ध न रहने के कारण शेष एस०टी०पी० का निरीक्षण अभी तक नहीं किया जा सका है। मार्च-22 में निरीक्षण सम्भावित है।</p> <p>उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवम् थर्ड पार्टी लैब श्रीराम लैब को उनके द्वारा प्रेषित ट्रीटेड सीवेज की परीक्षण रिपोर्ट के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।</p> <p>प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की दिनांक 24.01.2022 को सम्पन्न बैठक में मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) द्वारा आश्वासन दिया गया कि गाजियाबाद में स्थित एस०टी०पी० में Faecal Coliform को मानक के अनुरूप प्राप्त किये जाने की कार्यवाही के अन्तर्गत आवश्यक कार्य यथा वलोरीनेशन कान्टेक्ट टैंक का कार्य समिलित करने एवं जहाँ पहले से वलोरीनेशन टैंक स्थित है वहाँ उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु आवश्यक प्राक्कलन तैयार कराये जा रहे हैं जिसे शीघ्र प्रेषित कर दिया जायेगा।</p>	

विन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष / अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>एस०टी०पी० लगभग बंद पाया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि एस्पर्ट सदस्य श्री डी०पी० सिंह द्वारा इस एस०टी०पी० का तीन से चार वर्ष पूर्व एस०टी०पी० का भ्रमण किया गया था, उस समय यह एस०टी०पी० प्रदेश के अच्छे एस०टी०पी० में सम्मिलित था। निरीक्षण समिति द्वारा अक्रियाशील एस०टी०पी० के ट्रीटेड एफ्लूएन्ट रिपोर्ट मानक के अनुरूप आने पर रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है।</p> <p>श्री संजय कुमार सिंह (सलाहकार, ओ०एम० एण्ड एम० सेल) द्वारा साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं श्री राम लैब (थर्ड पार्टी लैब) द्वारा दोनों ही एस०टी०पी० की रिपोर्ट्स मानकनुरूप दी जा रही हैं जोकि असंभव है।</p> <p>5.2— अध्यक्ष / अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि यू०पी०पी०सी०बी० द्वारा रिपोर्ट सही नहीं दी गयी हैं इस संबंध में सदस्य सचिव, यू०पी०पी०सी०बी० एवं अपर मुख्य सचिव, बन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत करायें।</p> <p><u>कार्यवाही:- नगर विकास</u> <u>अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।</u></p> <p>श्री संजय कुमार सिंह, (सलाहकार, ओ०एम० एण्ड एम० सेल) द्वारा अवगत कराया गया कि थर्ड पार्टी लैब हेतु शासन द्वारा मात्र दो लैब नामतः श्रीराम लैब एवं आई०आई०टी०आर०, लखनऊ ही नामित हैं।</p> <p>5.3— अध्यक्ष / अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निवेशक की अध्यक्षता में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह (सलाहकार, ओ०एम० एण्ड एम० सेल), मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की एक समिति गठित की जाती है।</p>	<p>शासन के पत्र संख्या 169 / नौ—९—२२—८९ज / 2001, नगर विकास अनुभाग—९, दिनांक 25.01.2022 द्वारा सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति अपर मुख्य सचिव, बन एवं पर्यावरण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।</p> <p>कार्यवाही अपेक्षित है।</p>	

बिन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>यह समिति थर्ड पार्टी टेस्टिंग हेतु लैब का चिन्हाकांन नियमानुसार कर रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी।</p> <p><u>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ/ मुख्य अभियन्ता-सदस्य सचिव, औ०एम०एण्ड एम० सेल।</u></p> <p>मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा गाजियाबाद जौन के लोनी एवं सहारनपुर एस०टी०पी० के संचालन सही न होने व बंद होने के संबंध में दी गयी जानकारी पर समिति के सदस्य निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा भुगतान की संस्तुति करने वाले संबंधित समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों/ फर्म के विरुद्ध कार्यवाही व नियमानुसार रिकवरी करने का सुझाव दिया गया।</p> <p>5.4— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संबंधित अधिशासी अभियन्ता, जल निगम व फर्म के विरुद्ध कार्यवाही हेतु Show Cause Notice निर्गत करने के निर्देश प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को दिये गये।</p> <p><u>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)।</u></p> <p>उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिनिधि श्रीमती अर्लणिमा वाजपेयी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उचित होगा एक ही समय पर थर्ड पार्टी लैब, इनहाउस लैब व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सैम्प्लिंग की जाये जिससे रिपोर्ट्स में किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न न हो।</p> <p>5.5— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य अभियन्ताओं द्वारा थर्ड पार्टी लैब, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लैब हेतु रोस्टर तैयार कर यह भी सुनिश्चित किया जाये कि दोनों</p>	<p>सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा की जा रही है। यद्यपि कि फर्म के विरुद्ध कार्यवाही उ०प्र० जल निगम द्वारा की जानी अपेक्षित है तथापि OM&M Cell के पत्र संख्या 327/22/OM&M Cell/2019-20 दिनांक 18.02.2022 द्वारा फर्म को Show Cause Notice निर्गत किया जा गया है। पत्र का उत्तर एवं उ०प्र० जल निगम की आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा कार्यवाही की जानी है।</p>	

विन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>लैबों द्वारा एक ही दिनांक व एक ही समय पर एस०टी०पी० के एफलएन्ट की सैम्पलिंग की जाये।</p> <p><u>कार्यवाही:- समस्त संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/ प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा सुझाव दिया गया कि समस्त संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं को प्रत्येक माह में प्रत्येक एस०टी०पी० का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या बिल के साथ प्रस्तुत की जाये एवं निरीक्षण आख्या के अभाव में उक्त एस०टी०पी० का भुगतान न किया जाये।</u></p> <p>5.6— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक बिल के साथ संबंधित अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) संबंधित मुख्य अभियन्ता को समस्त एस०टी० पी० से संबंधित अपनी निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करेंगे। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा निरीक्षण हेतु एक चैक लिस्ट तैयार कर ली जाये जिसके अनुसार अधिशासी अभियन्ता अपनी निरीक्षण आख्या प्रेषित करेंगे। निरीक्षण आख्या के अध्ययन के उपरान्त मुख्य अभियन्ता अपनी सुरक्षा संस्थान के साथ बिल प्रेषित करें।</p> <p><u>कार्यवाही:- समस्त संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)</u></p>	<p>अवगत कराया गया कि एस०टी०पी० / एस०पी०एस० के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट तैयार कर लिया गया है। इस क्रम में प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा इसे समस्त क्षेत्रों में अनुपालनार्थ प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।</p> <p>चेक लिस्ट के अनुसार उ०प्र० जल निगम के अधिशासी अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निरीक्षण करने एवम् निरीक्षण आख्या के अध्ययन के उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को अपनी संस्तुति प्रत्येक बिल के साथ संलग्न कर प्रेषित करने के निर्देश प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिये गये।</p>	
6	<p>सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० द्वारा रोड धसने के कारणों के संबंध में आख्या लेने का सुझाव दिया गया जिस पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।</p> <p><u>कार्यवाही:- मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय) / सदस्य सचिव— मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल।</u></p>	<p>मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद द्वारा आश्वासन दिया गया कि रामपुर नगर में सीवर लाइन एवम् सड़क धसने के सम्बन्ध में अपनी विरत्तत तकनीकी रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित करेंगे।</p>	<p>समयाभाव के कारण विचार नहीं किया गया।</p>

बिन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
7	<p>7.1— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण गाजियाबाद को इस आशय का पत्र प्रेषित करें कि वांछित कार्य अविलम्ब पूर्ण करें जिसकी प्रति मण्डलायुक्त मेरठ को भी दी जाये।</p> <p><u>कार्यवाही:- नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद/ सदस्य सचिव -मुख्य अभियन्ता, औ0एम० एण्ड एम० सेल।</u></p>	<p>नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को इस कार्यालय के पत्र संख्या 320/12/368(8)/OM&M/2021-22 दिनांक 07.02.22 द्वारा अनुरोध किया गया है।</p>	<p>समयाभाव के कारण विचार नहीं किया गया।</p>
8	<p>महाप्रबन्धक, जलकल, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा एक अतिरिक्त जेटिंग मशीन एवं सीवर सफाई हेतु कुछ टीमें बढ़ायी गयी हैं एवं कार्यवाही की जा रही है।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मशीने और बढ़ाकर कार्यों को कराने के निर्देश दिए गये।</p> <p><u>कार्यवाही—संबंधित नगर आयुक्त/संबंधित महाप्रबन्धक, जलकल/संबंधित फर्म।</u></p>	<p>समयाभाव के कारण अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>समयाभाव के कारण विचार नहीं किया गया।</p>
9	<p>मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ स्थानों पर सीवर गृह संयोजन न होने के कारण कम श्राव प्राप्त हो रहा है। इन स्थलों पर कार्य प्रगति पर है।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) को निर्देश दिये गये कि अगामी एक माह के अन्दर गाजियाबाद जौन में जिन एस०टी०पी० पर वांछित डिजाइन श्राव प्राप्त नहीं हो रहा है उन पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाए।</p> <p>(कार्यवाही— मु0अभि०, गा०क्षे०)</p>	<p>समयाभाव के कारण अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>समयाभाव के कारण विचार नहीं किया गया।</p>
11	<p>11.1— अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०) द्वारा प्रसारित शिड्यूल का अनुपालन फर्म द्वारा सुनिश्चित कराया जाये एवं</p>	<p>मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा प्रसारित शिड्यूल का</p>	<p>समयाभाव के कारण विचार नहीं किया गया।</p>

बिन्दु सं०	दिनांक 14.12.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 07.03.2022 को अध्यक्ष / अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निर्देश
	<p>अनुपालन न होने के दशा में polluter pays सिद्धांत पर Damages claim किये जाये।</p> <p><u>कार्यवाही:- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) / समस्त संबंधित मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) / संबंधित कार्यदारी फर्म।</u></p>	<p>अनुपालन किया जा रहा है। फर्म को इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या अगले RA Bills के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।</p>	
12	<p>12.1— अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन / संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को निर्देश दिये गये कि उक्त पर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाये।</p> <p><u>कार्यवाही:- विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन / संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।</u></p>	<p>शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।</p>	<p>समयाभाव के कारण विचार नहीं किया गया।</p>

एजेन्डा (ii) अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या-774/वि-28/88 दिनांक 07.12.2021 एवम् मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या 139/मु.अभि.(ल.क्षे.) कार्य-45/30 दिनांक 21.02.2022 द्वारा गोरखपुर जोन के अन्तर्गत गोरखपुर नगर में स्थित 15 व 30 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 के माह नवम्बर-2021, दिसम्बर-2021 व जनवरी-2022 हेतु फर्म — मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० द्वारा गोरखपुर जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों पर निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम को धनराशि अवमुक्त किये जाने एवं गोरखपुर जोन के अन्तर्गत अयोध्या नगर में स्थित 12 एम0एल0डी0 एस0टी0पी के माह माह नवम्बर-2021, दिसम्बर-2021 व जनवरी-2022 के भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है। फर्म—मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० द्वारा गोरखपुर जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र0 सं०	अनुबन्ध के अनुसार पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	गोरखपुर	अयोध्या
1	25 th Payment Certificate / Bill- November, 2021	रु0 92,03,075.00 (फर्म को भुगतान रु0 8019308.00 + जीएसटी रु0 962317.00 + डीजल रु0 221450.00)	रु0 28,67,650.00 (फर्म को भुगतान रु0 25,26,724.00 + जीएसटी रु0 2,70,720.00 + डीजल रु0 49707.50)
2	26 th Payment Certificate / Bill- December, 2021	रु0 87,08,314.00 (फर्म को भुगतान रु0 75,48,408.00 + जीएसटी रु0 9,05,809.00+ डीजल रु0 254097.00)	रु0 28,67,583.62 (फर्म को भुगतान रु0 25,38,951.00 + जीएसटी रु0 2,72,030.62 + डीजल रु0 56602.00)
3	27 th Payment Certificate / Bill- January, 2022	रु0 86,46,730.00 (फर्म को भुगतान रु0 76,73,350.00 + जीएसटी रु0 920802.00 + डीजल रु0 52578.00)	रु0 29,63,440.00 (फर्म को भुगतान रु0 26,53,060.00 + जीएसटी रु0 2,84,256.00+ डीजल रु0 26124.00)

उक्त प्रेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् हैः-

अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर एवं मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा गोरखपुर नगर में स्थित ३० व १५ एम०एल०डी०, एस०टी०पी० के माह माह नवम्बर-२०२१, दिसम्बर-२०२१ व जनवरी-२०२२ एवं गोरखपुर जोन के अन्तर्गत अयोध्या नगर में स्थित १२ एम०एल०डी० एस०टी०पी० के माह नवम्बर-२०२१, दिसम्बर-२०२१ व जनवरी-२०२२ के सत्यापित प्रेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्प्ल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की कलाज ३९ सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०ए०० एण्ड एम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया।

गोरखपुर जोन में स्थित कुल ३ नग एस०टी०पी० का ट्रीटेड सीवेज नवम्बर-२०२१, दिसम्बर-२०२१ एवं जनवरी-२०२१ तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष तथा थर्ड पार्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- १२ एम०एल०डी० एस०टी०पी०, अयोध्या-सी०ओ०डी०-१ बार, FC-७१ बार

- ३० एम०एल०डी० एस०टी०पी०, गोरखपुर-बी०ओ०डी०-३ बार, टी०एस०एस०-१ बार, FC-३ बार

गोरखपुर जोन के ३ नग एस०टी०पी० के क्वालिटी एवं क्वांटीटी एवं मोबिलाइजेशन एडवांस के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् हैः-

माह	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाईजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटीटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाईजेशन एडवांइस, क्वांटीटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० सहित)
१	२	३	४	५ = (३+४)
गोरखपुर जोन				
नवम्बर-२०२१ (अवशेष)	1,20,70,725.00	कटौती विगत बैठक में की जा चुकी है।	260000.00	260000.00
दिसम्बर-२०२१	1,15,75,897.62		220000.00	220000.00
जनवरी-२०२२	1,16,10,170.00		40000.00	40000.00
योग	3,52,56,792.62		520000.00	520000.00

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-२.८ के अनुसार फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु० 7.00 करोड़ की धनराशि ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन (संचयी आधार पर) के उपरान्त जमा की जानी अपेक्षित है। मेसर्स तोशीबा वाटर सल्यूशन प्र०लि० को भुगतान की गयी धनराशि (प्रारंभ से अर्थात् माह जनवरी-२०२० से जनवरी-२०२१ तक प्रेषित बिलों के सापेक्ष) एस्क्रो एकाउन्ट में रु० 14,72,28,823.58 (रु० चौदह करोड़ बहत्तर लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ तेझीस व पैसे अट्ठावन मात्र) जमा किया जाना था जिसके सापेक्ष फर्म ने रु० 10,55,42,586.19 (रु० दस करोड़ पचपन लाख बयालीस हजार पाँच सौ छियासी व पैसे उन्नीस मात्र) जमा किये हैं एवं वर्तमान में रु० रु० 4,88,65,210.49 (रु० चार करोड़ अट्ठासी लाख पैसठ हजार दो सौ दस व पैसे उनचास मात्र) फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् हैः-

सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता, ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक १४.१२.२०२१ को सम्पन्न बैठक में ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा mobilization advance की कटौती १० किश्तों (अंतिम किश्त माह अक्टूबर २०२१) की कटौती की जा चुकी है। उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त माह नवम्बर-२०२१ (अवशेष), दिसम्बर-२०२१ व जनवरी-२०२२ के बिलों के गणना के उपरान्त ओ०ए०० एण्ड

एम० सेल द्वारा उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने वाली धनराशि की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:-

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	25 th Payment Certificate/ Bill- November 2021 (Rs.) (Balance Payment)	26 th Payment Certificate/ Bill- December 2021 (Rs.)	26 th Payment Certificate/ Bill- January-2022 (Rs.)
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अद्यमुक्त की जाने वाली धनराशि	2293451.25	8687561.47	9179515.23
2	जी०एस०टी० (12 प्रतिशत)	275214.39	1042507.38	1101541.83
3	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	310699.00	78702.00
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत)	229345.33	868756.15	917951.52
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	0.00	0.00
6	योग (1+2+3+4-5)	27,98,012.97	1,09,095,24.00	1,12,77,710.58
7	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	2,49,85,247.55 2,05,49,930.95 + (GST) 24,19,263.60 + (Centage) 20,16,053.00		
8	मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी-2022 तक लम्बित कुल धनराशि	4,88,65,210.49		
9	आवंटित की जाने वाली धनराशि, में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	2,05,49,930.95		
10	अवशेष धनराशि जिस हेतु प्र०नि० द्वारा नोटिस जारी करके फर्म से जमा कराया जाना है (रु०)	2,83,15,279.54		

सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति के समक्ष रु० 2,49,85,247.55 (रु० दो करोड़ उनचास लाख पचासी हजार दो सौ सेँतालीस व पैसे पचपन मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को निर्गत करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 4,88,65,210.49 में से रु० 2,05,49,930.55 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु० 2,83,15,279.54 (रु० 4,88,65,210.49 - 2,05,49,930.95 = रु० 2,83,15,279.54) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता, ओ०एण्ड एम० सेल द्वारा समिति के समक्ष धनराशि रु० 2,49,85,247.55 (रु० दो करोड़ उनचास लाख पचासी हजार दो सौ सेँतालीस व पैसे पचपन मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी०एस०टी० एवम् उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट के सापेक्ष माह जनवरी-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 4,88,65,210.49 में से रु० 2,05,49,930.55 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु० 2,83,15,279.54 (रु० 4,88,65,210.49 - 2,05,49,930.95 = रु० 2,83,15,279.54) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी।
(कार्यवाही- सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता ओ०एम०एण्ड एम० सेल / उ०प्र० शासन / प्र०नि०.उ०प्र० जल निगम-नगरीय)

एजेन्डा (iii) मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्र संख्या—3785 / 47 /243 दिनांक 01.12.2021, पत्र संख्या—188 / 47 दिनांक 29.01.2022 एवं पत्र संख्या 412 / 47 दिनांक 24.02.2022 द्वारा क्रमशः माह नवम्बर—2021, दिसम्बर—2021 एवम् जनवरी—2022 हेतु फर्म – M/s VA Tech Wabag Limited द्वारा आगरा जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)
1	24 th Payment Certificate / Bill -November, 2021	रु0 2,95,05,188.29 (फर्म को भुगतान रु0 2,41,84,580.56 + जी0एस0टी0 रु0 2902149.67 + 10 % सेन्टेज रु0 2418458.06)
2	25 th Payment Certificate / Bill - December, 2021	रु0 2,93,34,513.86 (फर्म को भुगतान रु0 2,40,44,683.49 + जी0एस0टी0 रु0 2885362.02 + 10 % सेन्टेज रु0 2404468.35)
3	26 th Payment Certificate / Bill -January, 2022	रु0 2,97,61,211.40 (फर्म को भुगतान रु0 2,48,01,009.50 + जी0एस0टी0 रु0 2480100.95 + 10 % सेन्टेज रु0 2480100.95)

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा द्वारा नवम्बर—2021, दिसम्बर—2021 एवम् जनवरी—2022 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल प्रमाणित कर प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्प्ल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबंध की क्लाज—39 सेक्शन -IV के अनुसार एस0टी0पी0 वाईज क्वालिटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ0एम0एण्डएम0 सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया।

आगरा जोन में स्थित कुल 7 नग एस0टी0पी0 का ट्रीटेड सीवेज नवम्बर—2021 (अवशेष), दिसम्बर—2021 एवम् जनवरी—2022 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष तथा थर्ड पार्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 10 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, पिलाखार – बी0ओ0डी0—3 बार, टी0एस0एस0—3 बार
- 2.25 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बुढ़ी का नगला – बी0ओ0डी0—2 बार, टी0एस0एस0—4 बार
- 14 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जगनपुर – टी0एस0एस0—1 बार, FC - 1 बार
- 12 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 देवीरोड – टी0एस0एस0—1 बार, FC - 1 बार
- 40 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बिचपुरी – टी0एस0एस0—1 बार, FC - 1 बार
- 24 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, धांधपुरा – FC - 1 बार

आगरा जोन के 7 नग एस0टी0पी0 में क्वालिटी एवं क्वालिटी एवं मोबिलाइजेशन एडवांस के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् हैं:-

माह	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाइजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाइजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 सहित)
1	2	3	4	5 = (3+4)
आगरा जोन				
नवम्बर-2021 (अवशेष)	29505188.29	कटौती विगत बैठक में की जा चुकी है।	150000.00	150000.00
दिसम्बर-2021	29334513.86		510000.00	510000.00
जनवरी-2022	29761211.40		40000.00	40000.00
योग	88600913.55		700000.00	700000.00

मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष ₹0 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा नवम्बर-2021, दिसम्बर-2021 व जनवरी-2022 तक की वांछित धनराशि ₹0 15,32,40,725.81 (₹0 पंद्रह करोड़ बत्तीस लाख चालीस हजार सात सौ पच्चीस व पैसे इक्यासी मात्र) जिसके सापेक्ष फर्म ने मात्र ₹0 14,05,36,290.32 (₹0 चौदह करोड़ पाँच लाख छतीस हजार दो सौ नब्बे व पैसे बत्तीस मात्र) जमा किये जा चुके हैं एवं वर्तमान में प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष ₹0 1,71,62,305.81 (₹0 एक करोड़ इकहत्तर लाख बासठ हजार तीन सौ पाँच व पैसे इक्यासी मात्र) फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् है:-

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 14.12.2021 को सम्पन्न बैठक में ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा mobilization advance की कटौती 10 किश्तों (अंतिम किश्त माह सितम्बर-2021) की जा चुकी है। उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त माह नवम्बर-2021 (अवशेष), दिसम्बर-2021 व जनवरी-2022 के बिलों के गणना के उपरान्त ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा उ0प्र0 जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:-

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	24 th Payment Certificate/ Bill- November, 2021 (Rs.) (Balance Payment)	25 th Payment Certificate/ Bill- December, 2021 (Rs.)	25 th Payment Certificate/ Bill- January, 2022 (Rs.)
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	6909885.76	2331663.79	25014357.09
2-	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	829186.29	2797999.66	3001722.85
3-	फ्यूल चार्जेस (As per actual certified by UPJN)	0.00	0.00	0.00
4-	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10 %)	690988.58	2331666.38	2501435.71
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	0.00	0.00
6	योग (1+2+3+4-5)	84,30,060.63	2,84,46,329.83	3,05,17,515.65
7	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		6,73,93,906.11	
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउन्ट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण			1,71,62,305.81

सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष ₹0 6,73,93,906.11 (₹0 छ: करोड़ तिहत्तर लाख तिरानवे हजार नौ सौ छ: व पैसे ग्यारह मात्र) की शासन स्तर से प्रदान करने व

शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को निर्गत करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,71,62,305.81 (रु0 एक करोड़ इक्छतर लाख बासठ हजार तीन सौ पाँच व पैसे इक्यासी मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता, ओ0एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष धनराशि रु0 6,73,93,906.11 (रु0 छ: करोड़ तिहतर लाख तिरानवे हजार नौ सौ छ: व पैसे ग्यारह मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी0एस0टी0 एवम् उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिलेसमेन्ट के सापेक्ष माह जनवरी-2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,71,62,305.81 (रु0 एक करोड़ इक्छतर लाख बासठ हजार तीन सौ पाँच व पैसे इक्यासी मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी।

(कार्यवाही— सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता ओ0एम0एण्ड एम0 सेल / उ0प्र0 शासन / प्र०नि०, उ0प्र0 जल निगम—नगरीय)

एजेन्डा (iv) मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-3630/एस0टी0पी० रखरखाव दिनांक 09.12.2021, पत्र संख्या-3631/एस0टी0पी० रखरखाव दिनांक 09.12.2021, पत्र संख्या-276/वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 24.01.2022, पत्र संख्या-424/वन सिटी वन ऑपरेटर दिनांक 14.02.2022 एवं पत्र संख्या-612/वन ऑपरेटर वन सिटी दिनांक 26.12.2022 द्वारा माह सितम्बर-2021, अक्टूबर-2021, नवम्बर-2021, दिसम्बर-2021 एवं जनवरी-2022 हेतु फर्म मेसर्स VA Tech Wabag Limited द्वारा गाजियाबाद जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की धनराशि, (रुपये में)
गाजियाबाद जोन		
(गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, पिलखुआ, अनूपशहर)		
1	22 th Payment Certificate /Bill- September, 2021	रु0 8,11,25,721.73 (फर्म को भुगतान रु0 65818864.15 + जीएसटी रु0 7898263.70 + डीजल रु0 826707.46 + 10% सेन्टेज रु0 6581886.42)
2	23 th Payment Certificate /Bill- October, 2021	रु0 8,04,04,418.15 (फर्म को भुगतान रु0 65021097.95 + जीएसटी रु0 7802531.75 + डीजल रु0 1078678.65 + 10% सेन्टेज रु0 6502109.80)
3	24 th Payment Certificate /Bill- November, 2021	रु0 7,79,37,140.44 (फर्म को भुगतान रु0 63387713.55 + जीएसटी रु0 7606525.63 + डीजल रु0 604129.91 + 10% सेन्टेज रु0 6338771.35)
4	25 th Payment Certificate /Bill- December, 2021	रु0 6,59,96,558.73 (फर्म को भुगतान रु0 53543516.99 + जीएसटी रु0 6425222.04 + डीजल रु0 673468.00 + 10% सेन्टेज रु0 5354351.70)
5	26 th Payment Certificate /Bill- January, 2022	रु0 6,99,50,460.59 (फर्म को भुगतान रु0 56836208.68 + जीएसटी रु0 6820345.04 + डीजल रु0 610286.00 + 10% सेन्टेज रु0 5683620.87)

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद द्वारा माह सितम्बर-2021 (अवशेष), अक्टूबर-2021 (अवशेष), नवम्बर-2021 एवं दिसम्बर-2021 के सत्यापित पेनेन्ट सर्टीफिकेट / बिल प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की कलाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस0टी0पी0 वाईज क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ0एम0एण्डएम0 सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया।

गाजियाबाद जोन में स्थित कुल 15 नगर एस0टी0पी0 का ट्रीटेड सीवेज सितम्बर-2021, अक्टूबर-2021, नवम्बर-2021 एवं दिसम्बर-2021 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष तथा थर्ड पार्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, इन्दिरापुरम् – FC-122 बार
- 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, इन्दिरापुरम् – टी0एस0एस0-25, FC-92 बार
- 70 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, झूंडाहेड़ा – टी0एस0एस0-2 बार FC-122 बार
- 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, झूंडाहेड़ा – FC-122 बार
- 3 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, पिलखुआ – FC-78 बार
- 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, लोनी – बी0ओ0डी0-02 बार, सी0ओ0डी0-1 बार, टी0एस0एस0-3 बार FC-38 बार
- 72 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, मेरठ – सी0ओ0डी0-3 बार, FC-11 बार
- 32.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, मुजफ्फरनगर–सी0ओ0डी0- 99 बार, टी0एस0एस0-30 बार, FC-31 बार
- 0.81 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बुलंदशहर– सी0ओ0डी0-43 बार, टी0एस0एस0-43 बार, FC-122 बार
- 1.76 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बुलंदशहर – सी0ओ0डी0-86 बार, टी0एस0एस0-81 बार, FC-122 बार
- 15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, रामपुर – सी0ओ0डी0-1 बार, FC- 1 बार
- 5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, रामपुर – सी0ओ0डी0-1 बार, FC-2 बार
- 24 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, विजनौर – टी0एस0एस0-72 बार, FC-1 बार

गाजियाबाद जोन के 15 एस0टी0पी0 के क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियों का विवरण निम्नवत् है:-

माह	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाईजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाईजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 सहित)
1	2	3	4	5 = (3+4)
गाजियाबाद जोन				
सितम्बर-2021 (अवशेष)	81125721.73	कटौती विगत बैठक में की जा चुकी है।	4518835.20	4518835.20
अक्टूबर-2021 (अवशेष)	80404418.15		5231000.00	5231000.00
नवम्बर-2021	77937140.44		4637658.00	4637658.00
दिसम्बर-2021	65996558.73		5665000.00	5665000.00
जनवरी-2022 (Adhoc Payment)	69950460.59		0.00	0.00
योग	375414299.64		20052493.20	20052493.20

सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता, ओ0एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तार-34 के अनुसार मेसर्स VA Tech Wabag को मोबिलाईजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) रु 104928195.00 (रु0 दस करोड़ उनचास लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पन्नानवे) भुगतान किया गया है जिसकी 10 किश्तों (अंतिम किश्त माह सितम्बर-2021) की कटौती की जा चुकी है। इसके उपरान्त मोबिलाईजेशन एडवांस की कटौती नहीं होगी। क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती रु 6,64,04,819.39 ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी हैं।

सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-२.८ अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउंट में प्रतिवर्ष रु० ७.०० करोड़ की धनराशि (५ प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्क्रेलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा वांछित धनराशि रु० **१४,६८,०९,४७५.८१** (रु० चौदह करोड़ अडसठ लाख नौ हजार चार सौ पचहत्तर व पैसे इक्यासी मात्र) के सापेक्ष फर्म ने मात्र रु० १३,४४,११,२९०.३२ (रु० तेरह करोड़ चौबालीस लाख ग्यारह हजार दो सौ नब्बे व पैसे बतीस मात्र) जमा किये हैं एवं वर्तमान में रु० २,३६,३३,८५५.१८ (रु० दो करोड़ छतीस लाख तैतीस हजार आठ सौ पचपन व पैसे अठारह मात्र) फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउंट में जमा किया जाना अवशेष है।

ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् हैः—

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती हैः

क्र. स.	पेमेन्ट स्टिफिकेट / बिल का विवरण	22th Payment Certificate/ Bill- September 2021 (Rs.) (Balance Payment)	23th Payment Certificate/ Bill- October 2021 (Rs.) (Balance Payment)	24th Payment Certificate/ Bill- November 2021 (Rs.)	25th Payment Certificate/ Bill- December 2022 (Rs.)	25th Payment Certificate/ Bill- January 2022 (Rs.) (Adhoc Payment)
1-	पेमेन्ट स्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	15523184.45	18821483.24	61314777.45	51309929.60	38751960.47
2-	जी.एस.टी. (१२ प्रतिशत)	1862782.13	2258577.99	735773.29	6157191.55	4650235.26
3-	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	(-) 71586.00	0.00	6131477.75	673468.00	610286.00
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जेस (१० प्रतिशत)	1552318.45	1882148.33	604129.91	5130992.96	3875196.05
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	योग (१+२+३+४-५)	1,८८,६६,६९९.०३	2,२९,६२,२०९.५६	७,५४,०८१,५८.४०	६,३२,७१,५८२.११	४,७८,८७६,७७.७७
7	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि				22,८३,९६,३२६.८७	
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण				2,३६,३३,८५५.१८	

सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०ए०० एम० सेल द्वारा समिति के समक्ष रु० २२,८३,९६,३२६.८७ (रु० बाइस करोड़ तिरासी लाख छियान्वे हजार तीन सौ छब्बीस व पैसे सतासी मात्र) की शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को निर्गत करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयकों से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी-२०२२ तक लम्बित कुल धनराशि रु० २,३६,३३,८५५.१८ (रु० दो करोड़ छतीस लाख तैतीस हजार आठ सौ पचपन व पैसे अठारह मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता / सदस्य सचिव, ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा संस्तुति की जाती है।

गाजियाबाद जोन के अन्तर्गत ०५ एम०एल०डी० एवम् १४ एम०एल०डी०, एस०टी०पी० रामपुर के माह सितम्बर-२०२१, अक्टूबर-२०२१ व नवम्बर-२०२१ तथा ०५ एम०एल०डी० एस०टी०पी० रामपुर के माह दिसम्बर-२०२१ का भुगतान विभिन्न विसंगतियों के कारण ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा रोका गया है। इस सम्बन्ध में ओ०ए०० एण्ड एम० सेल के पत्र संख्या-३३०/१२/३६८(८)/OM&M/२०२१-२२ दिनांक २८.०२.२०२२ के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) से आख्या मांगी गयी है। इसके अतिरिक्त ३८ एम०एल०डी०, एस०टी०पी० सहारनपुर के माह सितम्बर-२०२१ से दिसम्बर-२०२१ तक का भुगतान की संस्तुति उ०प्र० जल निगम द्वारा नहीं किये जाने के कारण ओ०ए०० एण्ड एम० सेल द्वारा संस्तुति नहीं की जाती है।

समिति का निर्णयः— सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एण्ड एम० सेल द्वारा समिति के समक्ष धनराशि रु० 22,83,96,326.87 (रु० बाइस करोड तिरासी लाख छियान्वे हजार तीन सौ छब्बीस व पैसे सतासी मात्र) की स्थीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्थीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी०ए०स०टी० एवम् उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट के सापेक्ष माह जनवरी—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 2,36,33,855.18 (रु० दो करोड छतीस लाख तीन सौ हजार आठ सौ पचपन व पैसे अठारह मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी।”
 (कार्यवाही— सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता ओ०ए०ए०ए० एम० सेल /उ०प्र० शासन/प्र०नि०,उ०प्र० जल निगम—नगरीय)

एजेन्डा (v) मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या—1928 /मु०अभि०(ल०क्ष०) कार्य—45 /242 दिनांक 08.12.2021, पत्र संख्या—67 /मु०अभि०(ल०क्ष०) कार्य—45 /11 दिनांक 31.01.2022, पत्र संख्या—68 /मु०अभि०(ल०क्ष०) कार्य—45 /12 दिनांक 01.02.2022 एवं पत्र संख्या—143 /मु० अभि०(ल०क्ष०) कार्य—45 /31 दिनांक 25.02.2022, द्वारा लखनऊ जोन, पैकेज—4 के लिए अक्टूबर—2021, नवम्बर—2021, दिसम्बर—2021 एवम् जनवरी—2022 हेतु फर्म — M/s SUEZ India Pvt. Ltd. द्वारा लखनऊ जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)
1	24 th Payment Certificate/ Bill-October- 2021	रु० 6,86,10,218.76 (फर्म को भुगतान रु० 5,48,19,717.64 + जीएसटी रु० 65,78,366.12 + डीजल रु० 430745.00) + 10 % सेन्टेज रु० 6781390.00
2	25 th Payment Certificate/ Bill-November- 2021	रु० 8,64,75,099.80 (फर्म को भुगतान रु० 7,75,93,769.40 + जीएसटी रु० 85,44,551.40 + डीजल रु० 336779.00) + 10 % सेन्टेज रु० 6781390.00
3	26 th Payment Certificate/ Bill-December- 2021	रु० 9,38,77,508.07 (फर्म को भुगतान रु० 7,71,84,731.45 + जीएसटी रु० 85,21,184.62 + डीजल रु० 1390202.00) + 10 % सेन्टेज रु० 6781390.00
4	26 th Payment Certificate/ Bill-January- 2022	रु० 7,99,64,582.01 (फर्म को भुगतान रु० 7,04,38,822.33 + जीएसटी रु० 8452658.68 + डीजल रु० 1073101.00) + 10 % सेन्टेज रु० 6781390.00

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ०ए०ए० एम० सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् हैः—

सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०ए०ए० एम० सेल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर—2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउंट में प्रतिवर्ष रु० 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्क्रेलेशन के उपरान्त) प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा 01 नवम्बर, 2019 से जनवरी—2022 तक बांधित धनराशि रु. 16,27,93,750.00 (रु० सोलह करोड़ सताइस लाख तिरानवे हजार सात सौ मात्र) के सापेक्ष फर्म ने मात्र 14,35,00,000.00 (रु० चौदह करोड़ पैंतीस लाख मात्र) जमा जा चुकी है एवं वर्तमान में प्रस्तुत बिल के सापेक्ष रु० 2,56,58,177.08 (रु० दो करोड़ छप्पन लाख अट्ठावन हजार एक सौ सतहत्तर व पैसे आठ मात्र) फर्म को एस्क्रो एकाउंट में जमा किया जाना अवशेष है।

निदेशालय में गठित ओ०ए०ए०ए० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया।

लखनऊ जोन में स्थित कुल 3 नग एस0टी०पी० का ट्रीटेड सीवेज अक्टूबर-2021, नवम्बर-2021, दिसम्बर-2021 एवं जनवरी-2022 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष तथा थर्ड पार्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 345 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, भरवारा – सी०ओ०डी०-०१ बार एवं FC – 01 बार
- 42 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, दौलतगंज – FC – 03 बार
- 14 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, दौलतगंज – FC – 03 बार

लखनऊ जोन के एस०टी०पी० में क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियों का विवरण निम्नवत् है:-

माह	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाईजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाईजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० सहित)
1	2	3	4	5 = (3+4)
लखनऊ जोन				
अक्टूबर-2021 (अवशेष)	68610218.76		0.00	0.00
नवम्बर-2021	86475099.80		0.00	0.00
दिसम्बर-2021	93877508.07		0.00	0.00
जनवरी-2022	79964582.01		221130.72	221130.72
योग	328927408.64		221130.72	221130.72

सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता, ओ०एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु० 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा वांछित धनराशि रु० **16,27,93,750.00** (रु० सोलह करोड़ सताइस लाख तिरानबे हजार सात सौ पचास मात्र) के सापेक्ष फर्म ने मात्र रु० 14,35,00,000.00 (रु० चौदह करोड़ पैंतीस लाख मात्र) जमा किये हैं एवं वर्तमान में रु० रु० 2,56,58,177.08 (रु० दो करोड़ छप्पन लाख अट्ठावन हजार एक सौ सतहत्तर व पैसे आठ मात्र) फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् है:-

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार है:

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	24 th Payment Certificate/ Bill Amount October-2021 (Rs.) (Balance Payment)	25 th Payment Certificate/ Bill Amount November-2021 (Rs.)	26 th Payment Certificate/ Bill Amount December-2021 (Rs.)	27 th Payment Certificate/ Bill Amount January-2022 (Rs.)
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	13665062.82	71204596.25	70785543.64	70059785.74
2	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	1639807.54	8544551.55	8494265.24	8407174.29
3	पूर्ण चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	336779.00	139020.00	1073101.00
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्ट्रेज / सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	1366506.29	7120459.63	7078554.36	7005978.57

5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00
6	योग (1+2+3+4-5)	16671376.65	87206386.43	86497383.24	86546039.60
7	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि			27,69,21,185.92	
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण			2,56,58,177.08	

सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ0एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष रु0 27,69,21,185.92 (रु0 सताईस करोड़ उनहत्तर लाख इकीस हजार एक सौ पचासी व पैसे बानवे मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को निर्गत करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,56,58,177.08 (रु0 दो करोड़ छप्पन लाख अट्ठावन हजार एक सौ सतहत्तर व पैसे आठ मात्र) की शत—प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णयः— सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ0एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष धनराशि रु0 27,69,21,185.92 (रु0 सताईस करोड़ उनहत्तर लाख इकीस हजार एक सौ पचासी व पैसे बानवे मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी0एस0टी0 एवम् उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट के सापेक्ष माह जनवरी—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,56,58,177.08 (रु0 दो करोड़ छप्पन लाख अट्ठावन हजार एक सौ सतहत्तर व पैसे आठ मात्र) की शत—प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति दी गयी।"

(कार्यवाही— सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता ओ0एम0एण्ड एम0 सेल / उ0प्र0 शासन / प्र०नि०.उ0प्र0 जल निगम—नगरीय)

सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल की संकलित संस्तुति:- उपरोक्तानुसार एजेण्डा (ii, iii, iv एवं v) हेतु लिये गये संस्तुति में अंकित कुल धनराशि रु0 59,76,96,666.45 (रु0 उनसठ करोड़ छिहत्तर लाख छियानवे हजार छ: सौ छियासठ व पैसे पैंचालीस मात्र) में से गोरखपुर जोन के लिए रु0 2,49,85,247.55 (रु0 दो करोड़ उनचास लाख पचासी हजार दो सौ सेंतालीस व पैसे पचपन मात्र), आगरा जोन के लिए रु0 6,73,93,906.11 (रु0 छ: करोड़ तिहत्तर लाख तिरानवे हजार नौ सौ छ: व पैसे ग्यारह मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु0 22,83,96,326.87 (रु0 बाईस करोड़ तिरासी लाख छियानवे हजार तीन सौ छब्बीस व पैसे सतासी मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए रु0 27,69,21,185.92 (रु0 सताईस करोड़ उनहत्तर लाख इकीस हजार एक सौ पचासी व पैसे बानवे मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि मानकानुसार देय जी0एस0टी0 एवम् उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने एवम् इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष गोरखपुर जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 4,88,65,210.49 में से रु0 2,05,49,930.55 की कटौती कर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 2,83,15,279.54 (रु0 4,88,65,210.49 - 2,05,49,930.95 = रु0 2,83,15,279.54) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने, आगरा जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,71,62,305.81 (रु0 एक करोड़ इकहत्तर लाख बासठ हजार तीन सौ पाँच व पैसे इक्यासी मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी—2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,36,33,855.18 (रु0 दो करोड़ छतीस लाख तैतीस हजार आठ सौ पचपन व पैसे अठारह मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,56,58,177.08 (रु0 दो करोड़ छप्पन लाख अट्ठावन हजार एक सौ सतहत्तर व पैसे आठ मात्र) है की शत—प्रतिशत की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं सम्बन्धित फर्म को भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को उक्त धनराशि

रु0 59,76,96,666.45 (रु0 उनसठ करोड़ छिहत्तर लाख छियानवे हजार छ: सौ छियासठ व पैसे पैंचालीस मात्र) निर्गत करने तथा निर्गत धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में रु0 8,70,04,268.62 (रु0 आठ करोड़ सत्तर लाख चार हजार दो सौ अडसठ व पैसे बासठ मात्र) चारों जोन के एस्क्रो एकाउंट में जमा करने हेतु संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णयः— उपरोक्तानुसार सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में गोरखपुर जोन के लिए रु0 2,49,85,247.55 (रु0 दो करोड़ उनचास लाख पचासी हजार दो सौ सैंतालीस व पैसे पचपन मात्र), आगरा जोन के लिए रु0 6,73,93,906.11 (रु0 छ: करोड़ तिहत्तर लाख तिरानवे हजार नौ सौ छ: व पैसे ग्यारह मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु0 22,83,96,326.87 (रु0 बाइस करोड़ तिरासी लाख छियान्वे हजार तीन सौ छत्तीस व पैसे सतासी मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए रु0 27,69,21,185.92 (रु0 सताईस करोड़ उनहत्तर लाख इक्कीस हजार एक सौ पचासी व पैसे बानवे मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से मानकानुसार देय जी०एस०टी० एवम् उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज को कम करते हुये अवशेष धनराशि सम्बन्धित फर्म को नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को आवंटित करने एवम् इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष गोरखपुर जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 4,88,65,210.49 में से रु0 2,05,49,930.55 की कटौती कर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 2,83,15,279.54 ($\text{रु0 } 4,88,65,210.49 - 2,05,49,930.55 = \text{रु0 } 2,83,15,279.54$) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने, आगरा जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,71,62,305.81 ($\text{रु0 } 1,71,62,305.81$) एवं लखनऊ जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी—2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,36,33,855.18 ($\text{रु0 } 2,36,33,855.18$) एवं लखनऊ जोन के लिए करोड़ छत्तीस लाख तैनीस हजार आठ सौ पचपन व पैसे अठारह मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जनवरी—2022 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 2,56,58,177.08 ($\text{रु0 } 2,56,58,177.08$) एवं लखनऊ जोन के लिए करोड़ छपन लाख अट्ठावन हजार एक सौ सतहत्तर व पैसे आठ मात्र) है की शत—प्रतिशत की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ को उक्त धनराशि रु0 59,76,96,666.45 ($\text{रु0 } 59,76,96,666.45$) एवं उनसठ करोड़ छिहत्तर लाख छियानवे हजार छ: सौ छियासठ व पैसे पैंचालीस मात्र) में से एस्क्रो एकाउंट में रु0 8,70,04,268.62 ($\text{रु0 } 8,70,04,268.62$) एवं करोड़ सत्तर लाख चार हजार दो सौ अडसठ व पैसे बासठ मात्र) चारों जोन के एस्क्रो एकाउंट में जमा करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी और प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही— सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता ओ०एस०एण्ड एम० सेल / उ०प्र० शासन / प्र०नि०,उ०प्र० जल निगम—नगरीय)

विद्युत बिल—

एजेन्डा (vi) अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल (वि/या), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्र—12/वि०संयो०—आगरा/06 दिनांक 21.01.2022 एवं पत्र संख्या 42/वि०संयो०—आगरा/13 दिनांक 19.02.2022 द्वारा 05 नग एस०टी०पी० व 28 नग एस०पी०एस० के हेतु माह दिसम्बर व जनवरी—2021 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 64,69,517.15 ($\text{रु0 } 64,69,517.15$) एवं रु0 67,44,820.00 ($\text{रु0 } 67,44,820.00$) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल (वि/या), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्र संख्या 492/वि०संयो०—आगरा/26 दिनांक 14.12.2021, 07/वि०संयो०—आगरा/02 दिनांक 10.01.2022, पत्र संख्या—41/वि०संयो०—आगरा/12 दिनांक 19.02.2022, पत्र संख्या 467/वि०संयो० आगरा/18 दिनांक 16.12.2021, पत्र संख्या 06/वि०संयो०आगरा/01 दिनांक 10.01.2022 एवं पत्र संख्या 40/वि०संयो०—आगरा/11 दिनांक 19.02.2021 द्वारा 02 नग एस०टी०पी० के माह नवम्बर—2021, दिसम्बर—2021 व जनवरी—2022 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 2,22,534.00 ($\text{रु0 } 2,22,534.00$) एवं रु0 1,18,885.68 ($\text{रु0 } 1,18,885.68$) लाख अट्ठारह हजार आठ सौ पचासी व पैसे अडसठ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेण्डा-(vii) (1) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि०/याँ०) उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद के पत्र संख्या-73 / कार्य-33 / 8 दिनांक 12.01.2022 एवं 281 / कार्य-33 / 33 दिनांक 03.02.2022 द्वारा 56 व 74 एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं 48 एम०पी०एस० इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के दिनांक 01.12.2021 से 01.01.2022 एवं दिनांक 01.01.2022 से 01.02.2022 तक के 2 नग एस०टी०पी० व 1 नग एम०पी०एस० का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 4260416.00 (रु० बयालीस लाख साठ हजार चार सौ सोलह मात्र) एवं रु० 4185383.00 (रु० इक्कतालीस लाख बचासील हजार तीन सौ तिरासी मात्र) अर्थात् कुल रु० 84,45,799.00 (रु० चौरासी पैंचालीस हजार सात सौ तिनानबे मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(2) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि०/याँ०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-4262 / कार्य-33 / 299 दिनांक 20.12.2021 सीवेज पम्प जी०डी०ए० मार्केट, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद, सीवेज पम्प नगर निगम, सेक्टर-1, निकट मैक्स अस्पताल वैशाली, गाजियाबाद, सीवेज पम्प सप्तम खण्ड, सेक्टर-19 वसुन्धरा, गाजियाबाद व सीवेज पम्प निकट कनावनी पुलिसा सेक्टर-5 वसुन्धरा, गाजियाबाद के दिसम्बर-2021 द्वारा रु० 1122056.00 (रु० ग्यारह लाख बाईस हजार छपन मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(3) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि०/याँ०) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-283 / कार्य -33 / 34 दिनांक 03.02.2022 द्वारा 56 एम०एल०डी० व 70 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० ढूड़ाहेड़ा, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित माह जनवरी-2022 का प्रमाणित विद्युत देयक रु० 3936209.00 (रु० उन्तालीस लाख छतीस सत्तर हजार दौ सौ नौ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(4) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि०/याँ०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-157 / कार्य-33 / 17 दिनांक 18.01.2022 एवं पत्र संख्या 399 / कार्य-33 / 52 दिनांक 07.02.2022 द्वारा लोनी सीवरेज योजना में 30 एम०एल०डी० एस०टी०पी० / 68 एम०एल०डी० एम०पी०एस० लोनी, गाजियाबाद के 01.12.2021 से 01.01.2022, 01.12.2021 से 01.01.2022 एवम् 01.01.2022 से 01.02.2022 तथा 01.01.2022 से 01.02.2022 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 817194.00 एवं रु० 1007234.00 अर्थात् कुल रु० 18,24,428.00 (रु० अठारह लाख चौबीस हजार चार सौ अठाईस मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(5) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि०/याँ०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-159 / कार्य-33 / 158 दिनांक 18.01.2022 एवं पत्र संख्या-469 / कार्य-33 / 59 दिनांक 23.02.2022 द्वारा सीवेज पम्प सी-ब्लॉक पार्क शालीमार, गार्डन (56 एम०एल०डी०) इन्दिरापुरम/जनकपुरी एस०पी०एस०, गाजियाबाद / सीवेज पम्प सूर्यनगर (56 एम०एल०डी०) इन्दिरापुरम/ब्रज विहार एस०पी०एस० गाजियाबाद के दिसम्बर-2021 व जनवरी-2022 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः-रु० 400885.00 एवं रु० 331425.00 अर्थात् कुल रु० 7,32,310.00 (रु० सात लाख बतीस हजार तीन सौ दस मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(6) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि०/याँ०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या पत्र संख्या-4157 / कार्य-33 / 33 / 290 दिनांक 14.12.2021 एवं 72 / कार्य-33 / 7 दिनांक 12.01.2020 द्वारा 03 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० व 2 एम०एल०डी०, आई०पी०एस०, पिलखुआ के दिनांक 09.10.2021 से 02.11.2021 व दिनांक 27.10.2021 से 29.11.2021 तथा दिनांक 27.10.2021 से 29.11.2021 व 29.11.2021 से 29.12.2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 276980.00 एवं रु० 371324.00 अर्थात् कुल 6,48,304.00 (रु० छ: लाख अठालीस हजार तीन सौ चार मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(7) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/यां), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-4163 / कार्य-33 / 291 दिनांक 14.12.2021 एवं पत्र संख्या-4164 / कार्य-33 / 292 दिनांक 14.12.2021 द्वारा कृष्णपुरी शामली बस स्टैण्ड मुजफ्फरनगर (IPS-1), दिनांक 01.10.2021 से 01.11.2021, 01.11.2021 से 01.12.2021, जामिया नगर खालापार मुजफ्फरनगर (STP-WSP) 01.10.2021 से 01.11.2021, 01.11.2021 से 01.12.2021, कोर्ट परिसर मुजफ्फरनगर (IPS-2) 03.10.2021 से 08.11.2021, 08.11.2021 से 07.12.2021 एवम् गौशाला रोड शमशासन घाट, मुजफ्फरनगर (MPS) 01.10.2021 से 01.11.2021 एवं 01.11.2021 से 01.12.2021 तक के प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 309346.18 व 318843.91 अर्थात् कुल रु0 6,28,190.09 (रु0 छ: लाख अद्वाईस हजार एक सौ नब्बे व पैसे नौ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(8) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि/यां), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र संख्या-69 / कार्य-33 / 06 दिनांक 10.01.2022 एवम् पत्र संख्या-333 / कार्य-33 / 41 दिनांक 08.02.2022 द्वारा 72 एम0एल0डी0, कमालपुर, मेरठ के दिनांक 01.12.2021 से 01.01.2022 एवम् दिनांक 01.01.2022 से 01.02.2022 तक के प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः 2639278.00 एवम् रु0 2613801.00 अर्थात् कुल रु0 52,53,079.00 (रु0 बावन लाख तिरपन हजार उनासी मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेण्डा-(viii) महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 36 / डब्लू-20 / 01 दिनांक 07.01.2022 द्वारा लखनऊ नगर के 03 एस0टी0पी0 एवम् 30 सीवेज पम्पिंग स्टेशन का माह जुलाई-2021, अगस्त-2021, सितम्बर-2021 एवम् अक्टूबर-2021 का कुल रु0 109669217.00 (रु0 दस करोड़ छियानवे हजार उनहत्तर हजार दो सौ सत्रह मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेण्डा-(ix) परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गोरखपुर के पत्र संख्या 1180 / कार्य-10 / 199 दिनांक 13.12.2021, पत्र संख्या-74 / कार्य-10 / 02 दिनांक 25.01.2022 एवम् पत्र संख्या-169 / कार्य-10 / 10 दिनांक 26.02.2022 द्वारा गोरखपुर नगर के 2 नग एस0टी0पी0 एवम् 2 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन का माह अक्टूबर-2021, नवम्बर-2021, दिसम्बर-2021 व जनवरी-2022 का कुल रु0 1,31,49,665.65 (रु0 एक करोड़ इकतीस लाख उनचास हजार छ: सौ पैंसठ व पैसे पैंसठ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार पैरा (vi), (vii), (viii) एवं (ix) के शहर-वार/टाउन-वार विद्युत बिल का विवरण निम्नानुसार है:-

एजेण्डा क्र0स0	शहर/टाउन का नाम	एस0टी0पी0 / पम्पिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की धनराशि रु0
(vi)	आगरा	5 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0	दिसम्बर-2021 जनवरी-2022	64,69,217.15 67,44,820.00
		12 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0	नवम्बर-2021 दिसम्बर-2021 जनवरी-2022	29536.00 26133.00 31424.88
		40 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (बिचपुरी), आगरा	नवम्बर-2021 दिसम्बर-2021 जनवरी-2022	192998.02 218059.36 87460.80
			योग	1,37,99,649.21
(vii)	गाजियाबाद	अहिंसा खण्ड इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद (56 MLD STP)	01.12.2021 से 01.01.2022	33782.00
			01.01.2022 से 01.02.2022	43434.00
			01.12.2021 से	970056.00

एजेण्डा क्र०सं०	शहर/ टाउन का नाम	एस०टी०पी०/ पम्पिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की धनराशि रु०
		शक्ति खण्ड-4 इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद (48 MLD MPS)	01.01.2022 01.01.2022 से 01.02.2022	
		शक्ति खण्ड-4 इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद (74 MLD STP)	01.12.2021 से 01.01.2022 01.01.2022 से 01.02.2022	3256578.00 3362249.00
		सीवेज पम्प जी०डी० मार्केट सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद	01.11.2021 से 02.12.2021	250670.00
		सीवेज पम्प नगर निगम सेक्टर-1 निकट मैक्स अस्पताल वैशाली, गाजियाबाद	01.11.2021 से 01.12.2021	184371.00
		सीवेज पम्प सेक्टर-19 वसुन्धरा गाजियाबाद	08.11.2021 से 01.12.2021	120247.00
		सीवेज पम्प निकट कनावनी पुलिया सेक्टर-5, वसुन्धरा, गाजियाबाद	01.11.2021 से 03.12.2021	566768.00
		सीवेज पम्प सी-ब्लॉक पार्क शालीमार गार्डन (56 एम०एल०डी०) इन्दिरापुरम्/ जनकपुरी एस०पी०एस०, गाजियाबाद	01.12.2021 से 01.01.2022 01.01.2022 से 01.02.2022	314159.00 269861.00
		सीवेज पम्प सूर्यनगर (56 एम०एल०डी०) इन्दिरापुरम्/ ब्रज विहार एस०पी०एस०, गाजियाबाद	01.12.2021 से 01.01.2022 01.01.2022 से 01.02.2022	86726.00 61564.00
		DLF S/S Treatment Plant, Loni (68 MLD SPS)	01.12.2021 से 01.01.2022 01.01.2022 से 01.02.2022	439209.00 603913.00
		STP Near DLF S/S Loni, Ghaziabad. (30 MLD STP)	01.12.2021 से 01.01.2022 01.01.2022 से 01.02.2022	377985.00 403321.00
		झूड़ाहेड़ा सीवरेज 56 एम०एल०डी०	01.01.2022 से 01.02.2022	2740163.66
		झूड़ाहेड़ा सीवरेज 70 एम०एल०डी०	01.01.2022 से 01.02.2022	1196045.00
		एम०पी०एस०-एस०टी०पी०-03 एम०एल०डी०, पिलखुआ	09.10.2021 से 02.11.2021 02.11.2021 से 05.12.2021	236345.00 330689.25
		आई०पी०एस० 02 एम०एल०डी०, पिलखुआ	27.10.2021 से 29.11.2021 29.11.2021 से 29.12.2021	40635.00 40635.00

एजेण्डा क्र0सं0	शहर/ठाउन का नाम	एस0टी०पी०/पमिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की धनराशि रु0
	मेरठ	72 एम0एल0डी०, कमालपुर	01.12.2021 से 01.01.2022 01.01.2022 से 01.02.2022	2639278.00 2613801.00
	मुजफ्फरनगर	कृष्णपुरी शामली बस स्टैण्ड मुजफ्फरनगर (IPS-1)	01.10.2021 से 01.11.2021 01.11.2021 से 01.12.2021	25918.60 31410.13
		जामिया नगर खालापार मुजफ्फरनगर (STP-WSP)	01.10.2021 से 01.11.2021 01.11.2021 से 01.12.2021	11378.99 15343.71
		कोर्ट परिसर मुजफ्फरनगर (IPS-2)	03.10.2021 से 08.11.2021 08.11.2021 से 07.12.2021	138409.10 138433.44
		गौशाला रोड शमशासन घाट, मुजफ्फरनगर (MPS)	01.10.2021 से 01.11.2021 01.11.2021 से 01.12.2021	133639.49 133656.63
				योग 22590375.00
(viii)	लखनऊ	3 नग एस0टी०पी० एवं 30 नग एस0पी०एस०, लखनऊ	जुलाई-2021 से अक्टूबर-2021 तक	109669217.00
				योग 109669217.00
(ix)	गोरखपुर	30 एम0एल0डी०, STP, 30 MLD SPS व 15 STP, STP & 15 MLD SPS	अक्टूबर-2021 से जनवरी-2022 तक	13149665.65
				योग 13149665.65
				महायोग 159208906.86

उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु0 15,92,08,906.86 (रु0 पंद्रह करोड़ बानवे लाख आठ हजार नौ सौ छः व पैसे छियासी मात्र) की स्वीकृति वांचित है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा (vi), (vii), (viii) एवं (ix) एजेण्डा में प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा इकाईयों से प्राप्त विद्युत बिलों का परीक्षण किया गया। जोनवार विद्युत व्यय निम्नानुसार हैं:-

क्र0सं0	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि
1	2	3
1	आगरा जोन	1,37,99,649.21
2	गाजियाबाद जोन	2,25,90,375.00
3	लखनऊ	10,96,69,217.00
4	गोरखपुर	1,31,49,665.65
	महायोग	15,92,08,906.86

उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि ₹0 15,92,08,906.86 (₹0 पंद्रह करोड़ बानवे लाख आठ हजार नौ सौ छः व पैसे छियासी मात्र) वाचित है, जिसकी स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को विद्युत देयकों के मद में आवंटित करने की संस्तुति सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता, ओ0एण्ड एम0 सेल द्वारा की जाती है।

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता, ओ0एण्ड एम0 सेल द्वारा उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि ₹0 15,92,08,906.86 (₹0 पंद्रह करोड़ बानवे लाख आठ हजार नौ सौ छः व पैसे छियासी मात्र) में से क्रमशः आगरा जोन के लिए ₹0 1,37,99,649.21, गाजियाबाद जोन के लिए ₹0 2,25,90,375.00, लखनऊ जोन के लिए ₹0 10,96,69,217.00 एवं गोरखपुर जोन के लिए ₹0 1,31,49,665.65 की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को विद्युत देयकों के मद में आवंटित करने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गयी।

(कार्यवाही— सदस्य सचिव-मुख्य अभियन्ता ओ0एम0एण्ड एम0 सेल/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम—नगरीय)

एजेंडा (x) प्रयागराज नगर में सीवरेज परियोजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के लम्बित विद्युत देयकों के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 258/नौ-9-22-89ज/2001 टी0सी0 दिनांक 11.02.2022 द्वारा निर्देश प्राप्त हुये हैं।

सीवरेज परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रयागराज नगर में सृजित परिसम्पत्तियों के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु मार्च—2019 तक अवशेष देयता ₹0 603.7962 लाख एवं माह दिसम्बर—2020 से दिसम्बर—2021 तक लम्बित सकल विद्युत देयक ₹0 289.19 लाख अर्थात् कुल ₹0 892.9362 लाख का भुगतान शासनादेश संख्या 986/नौ-9-21-89ज/2001 दिनांक 14.06.2021 द्वारा गठित राज्य स्तरीय निधि के एस0टी0पी0 संचालन एवं रख—रखाव मद में उपलब्ध धनराशि से उ0प्र0 जल निगम को किये जाने हेतु शासन में निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय से की गयी है।

शासन के पत्र संख्या—258 दिनांक 11.02.2022 के साथ संलग्न सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के पत्रांक—74/नागर—2/033/विद्युत भुगतान दिनांक 09.02.2022 में प्रयागराज में स्थित सीवरेज परियोजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के विद्युत देयकों का विवरण दर्शाया गया है, जो निम्नानुसार है:—

(अ) माह मार्च—2019 तक विद्युत देयकों की अवशेष देयता	—	₹. 2375.6162 लाख
भुगतान	— (—)	₹. 1770.82 लाख
अवशेष	—	₹. 603.7962 लाख

(ब) उ0प्र0 जल निगम द्वारा संचालित 05 नग, एस0पी0एस0 (राजापुर 60 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 से सम्बन्धित), 02 नग एस0पी0एस0 (सीवरेज डिस्ट्रिक्ट—ई में निर्मित) एवं 14 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 सलोरी के माह दिसम्बर—2020 से दिसम्बर—2021 तक लम्बित सकल विद्युत देयक — ₹0 289.14 लाख

इस प्रकार प्रयागराज नगर में सीवरेज परियोजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की लम्बित विद्युत देयकों की अद्यतन देयता (अ) + (ब) = ₹0 603.7962 + 289.14 = ₹0 892.93620 लाख प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रयागराज नगर में सीवरेज परियोजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के लम्बित विद्युत देयकों के भुगतान हेतु ₹0 8,92,93,620.00 (₹0 आठ करोड़ बानवे लाख तिरानवे हजार छः सौ बीस मात्र) की स्वीकृति वाचित है।

सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एण्ड एम० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार विद्युत देयकों के भुगतान हेतु शासन के पत्र संख्या 258 /नौ—९—२२—८९ज /2001 टी०सी० दिनांक 11.02.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रु० 8,92,93,620.00 (रु० आठ करोड़ बानबे लाख तिरानवे हजार छ: सौ बीस मात्र) समिति के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

समिति का निर्णय:— सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा प्रस्तुत उक्त एजेण्डा पर समिति अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि शासनादेश 258 /नौ—९—२२—८९ज /2001 टी०सी० दिनांक 11.02.2022 में दिये गये निर्देश के अनुसार रु० 8,92,93,620.00 (रु० आठ करोड़ बानबे लाख तिरानवे हजार छ: सौ बीस मात्र) के किये गये भुगतान का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा (xi) वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के अन्तर्गत लखनऊ (पैकेज—४), गोरखपुर (पैकेज—५) आगरा (पैकेज—६) एवं गाजियाबाद (पैकेज—८) में सीवरेज परियोजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवम् रखरखाव का कार्य विभिन्न फर्मों द्वारा कराया जा रहा है। अनुबंध के सेवशन-II, व्लाज संख्या—३४ के अनुसार सम्बन्धित फर्मों को अनुबंध की धनराशि के 10 प्रतिशत का भुगतान बैंक गारंटी के सापेक्ष मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में भुगतान किया गया था। मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि की रिकवरी सम्बन्धित फर्म से दस समान किश्तों में की जानी है। रिकवरी के सम्बन्ध में व्लाज संख्या—३४.२ में निम्नानुसार वर्णन है:-

"34.2- The Mobilization Advance shall be recovered on monthly installment basis @10% per month of Mobilization Advance. The installments shall commence when 10% (12 Months) of the scheduled contract period has elapsed and fully recovered before when 20% (24 months) of scheduled contract period is over, both from date of start. (The month of start & completion of recovery of Mobilization Advance to be rounded off to nearest fully month.)"

तत्क्रम में अवगत कराना है कि फर्मों द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के सापेक्ष उनके द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी को वापस करने का अनुरोध किया गया है।

1— अनुबंध संख्या—९/SGRCA/2017-18(OM&M) के अनुसार लखनऊ शहर में सीवरेज परियोजनाओं में सृजित परिसम्पत्तियों का संचालन एवं रख—रखाव मै० सुएज इण्डिया प्रा०लि० द्वारा दिनांक 01.01.2019 से किया जा रहा है। फर्म को मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि रु० 7,75,01,600/- की धनराशि (दो समान किश्तों रु० 3,87,50,800/- प्रत्येक) का भुगतान किया गया था। तत्क्रम में अवगत कराना है कि लखनऊ जोन हेतु मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती दस समान किश्तों में कुल रु० 7,75,01,600/- (रु० सात करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार छ: सौ मात्र) की करनी थी जो माह अगस्त—२०२१ में पूर्ण होता है। फर्म के अनुरोध पर माह जुलाई—२०२१ तक समस्त मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि की कटौती निम्नानुसार पूर्ण कर ली गयी है।

- कुल मोबिलाइजेशन एडवांस — रु० 7,75,01,600.00
- जुलाई—२०२१ तक कुल 10 किश्तों में की गयी कटौती — रु० 7,75,01,600.00

अतः सम्बन्धित फर्म मै० सुएज इण्डिया प्रा०लि० पर वर्तमान में मोबिलाइजेशन एडवांस का कोई अवशेष नहीं है। तदनुसार मै० सुएज इण्डिया प्रा०लि० के पत्र संख्या—DIPL/RM/UPJN/486 दिनांक 27.12.2021 द्वारा किये गये अनुरोध पर फर्म द्वारा जमा की गयी बैंक गारण्टी रु० 8,52,51,760/- (रु० आठ करोड़ बावन लाख इक्यावन हजार सात सौ साठ मात्र) को अवमुक्त करने की स्वीकृति वांछित है।

समिति का निर्णय:— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि सहायक निदेशक (लेखा) एवं सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करलें कि मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध यदि बैंक गारण्टी ली गयी है तथा अनुबंध की शर्तों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार मोबिलाइजेशन एडवांस की शत—प्रतिशत रिकवरी पूर्ण हो चुकी है तो मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध जमा की गयी बैंक गारण्टी को वित्तीय नियमों एवम् अनुबंध की शर्तों के क्रम में अवमुक्त करने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही—मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० सेल व सहायक निदेशक (लेखा), स्थानीय निकाय निदेशालय)

2— अनुबंध संख्या अनुबन्ध संख्या—9/SGRCA/2017-18(OM&M) के अनुसार गोरखपुर शहर में सीवरेज परियोजनाओं में सृजित परिसम्पत्तियों का संचालन एवं रख—रखाव तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० द्वारा दिनांक 28.12.2019 से किया जा रहा है। फर्म को मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि रु० 1,33,21,168/- की धनराशि दो समान किश्तों रु० 66,60,584/- आवंटित की गयी थी। तत्क्रम में अवगत कराना है कि गोरखपुर जोन हेतु मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती दस समान किश्तों में कुल रु० 1,33,21,168.00/- (रु० एक करोड़ तौंतीस लाख इक्कीस हजार एक सौ अड्सठ मात्र) की करनी थी जो माह अक्टूबर—2021 में पूर्ण होता है। माह अक्टूबर—2021 तक समस्त मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि की कटौती निम्नानुसार पूर्ण कर ली गयी है।

- कुल मोबिलाइजेशन एडवांस — रु० 1,33,21,168.00
- अक्टूबर—2021 तक कुल 10 किश्तों में की गयी कटौती — रु० 1,33,21,168.00

अतः सम्बन्धित फर्म मै० तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० पर मोबिलाइजेशन एडवांस का कोई अवशेष नहीं है। तदनुसार मै० तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्रा०लि० के पत्र संख्या—TWS/CV/21-22/Gkp/Package-5/210181 दिनांक 28.02.2022 द्वारा किये गये अनुरोध पर फर्म द्वारा जमा की गयी बैंक गारण्टी रु० 1,46,53,285/- (रु० एक करोड़ छियालीस लाख तिरपन हजार दो सौ पचासी मात्र) को अवमुक्त करने की स्वीकृति वांछित है।

समिति का निर्णयः— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि सहायक निदेशक (लेखा) एवं सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करलें कि मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध यदि बैंक गारण्टी ली गयी है तथा अनुबंध की शर्तों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार मोबिलाइजेशन एडवांस की शत—प्रतिशत रिकवरी पूर्ण हो चुकी है तो मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध जमा की गयी बैंक गारण्टी को वित्तीय नियमों एवम् अनुबंध की शर्तों के क्रम में अवमुक्त करने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही—मुख्य अभियन्ता/ सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम० सेल व सहायक निदेशक (लेखा), स्थानीय निकाय निदेशालय)

3— अनुबंध संख्या अनुबन्ध संख्या—9/SGRCA/2017-18(OM&M) के अनुसार आगरा शहर में सीवरेज परियोजनाओं में सृजित परिसम्पत्तियों का संचालन एवं रख—रखाव मै० वी०ए० टेक वाबाग लि० द्वारा दिनांक 16.12.2019 से किया जा रहा है। फर्म को मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि रु० 4,28,40,290/- की धनराशि (दो समान किश्तों रु० 2,14,20,145/- प्रत्येक) का भुगतान किया गया था। तत्क्रम में अवगत कराना है कि आगरा जोन हेतु मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती दस समान किश्तों में कुल रु० 4,28,40,290/- (रु० चार करोड़ अट्ठाईस लाख चालीस हजार दो सौ नब्बे मात्र) की करनी थी जो माह सितम्बर—2021 में पूर्ण होता है। माह सितम्बर—2021 तक समस्त मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि की कटौती निम्नानुसार पूर्ण कर ली गयी है।

- कुल मोबिलाइजेशन एडवांस — रु० 4,28,40,290.00
- सितम्बर—2021 तक कुल 10 किश्तों में की गयी कटौती — रु० 4,28,40,290.00

अतः सम्बन्धित फर्म मै० वी०ए० टेक वाबाग लि० पर वर्तमान में मोबिलाइजेशन एडवांस का कोई अवशेष नहीं है। तदनुसार मै० वी०ए० टेक वाबाग लि० के पत्र संख्या—VATW/2021-2022/PKG-6/AGRA/OM&M/137 दिनांक 31.12.2021 द्वारा किये गये अनुरोध पर फर्म द्वारा जमा की गयी बैंक गारण्टी क्रमशः रु० 2,35,62,159.50 तथा रु० 2,35,62,159.50 कुल धनराशि रु० 4,71,24,319.00 (रु० चार करोड़ इकहत्तर लाख चौबीस हजार तीन सौ उन्नीस) को अवमुक्त करने की स्वीकृति वांछित है।

समिति का निर्णयः— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि सहायक निदेशक (लेखा) एवं सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करलें कि मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध यदि बैंक गारण्टी ली गयी है तथा अनुबंध की शर्तों एवं वित्तीय नियमों

के अनुसार मोबिलाइजेशन एडवांस की शत-प्रतिशत रिकवरी पूर्ण हो चुकी है तो मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध जमा की गयी बैंक गारण्टी को वित्तीय नियमों एवं अनुबंध की शर्तों के क्रम में अवमुक्त करने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही—मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल व सहायक निदेशक (लेखा), स्थानीय निकाय निदेशालय)

4— अनुबंध संख्या अनुबंध संख्या—9/SGRCA/2017-18(OM&M) के अनुसार गाजियाबाद शहर में सीवरेज परियोजनाओं में सृजित परिसम्पत्तियों का संचालन एवं रख-रखाव मै० वी०ए० टेक वाबाग लि० द्वारा दिनांक 16.12.2019 से किया जा रहा है। फर्म को मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि रु० 10,49,28,194/- की धनराशि (दो समान किश्तों रु० 5,24,64,097/- प्रत्येक) का भुगतान किया गया था। तत्क्रम में अवगत कराना है कि गाजियाबाद जोन हेतु मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती दस समान किश्तों में कुल रु० 10,49,28,194/- (रु० दस करोड़ उनचास लाख अट्ठाईस हजार एक सौ चौरानवे मात्र) की करनी थी जो माह सितम्बर—2021 में पूर्ण होता है। माह सितम्बर—2021 तक समस्त मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि की कटौती निम्नानुसार पूर्ण कर ली गयी है।

- कुल मोबिलाइजेशन एडवांस — रु० 10,49,28,194.00
- सितम्बर—2021 तक कुल 10 किश्तों में की गयी कटौती — रु० 10,49,28,194.00

अतः सम्बन्धित फर्म मै० वी०ए० टेक वाबाग लि० पर वर्तमान में मोबिलाइजेशन एडवांस का कोई अवशेष नहीं है। तदनुसार मै० वी०ए० टेक वाबाग लि० के पत्र संख्या—VATW/2021-2022/PKG-8/LKO/OM&M/235 दिनांक 31.12.2021 द्वारा किये गये अनुरोध पर फर्म द्वारा जमा की गयी बैंक गारण्टी क्रमशः रु० 5,77,10,507.25 तथा रु० 5,77,10,507.25 कुल धनराशि रु० 11,54,21,014.50 (रु० ग्यारह करोड़ चौवन लाख इक्कीस हजार चौदह व पैसे पचास मात्र) को अवमुक्त करने की स्वीकृति वांछित है।

समिति का निर्णय— अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि सहायक निदेशक (लेखा) एवं सदस्य सचिव—मुख्य अभियन्ता, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करलें कि मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध यदि बैंक गारण्टी ली गयी है तथा अनुबंध की शर्तों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार मोबिलाइजेशन एडवांस की शत-प्रतिशत रिकवरी पूर्ण हो चुकी है तो मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध जमा की गयी बैंक गारण्टी को वित्तीय नियमों एवं अनुबंध की शर्तों के क्रम में अवमुक्त करने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही—मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०ए०ए०ए० एम० सेल व सहायक निदेशक (लेखा), स्थानीय निकाय निदेशालय)

एजेन्डा (xii) समिति के अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा बैठक के दौरान दी गयी अनुमति के अनुसार अन्य एजेंडा बिन्दु निम्नवत् रखें गये:—

अन्य एजेन्डा (xii.i) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) के कार्यालय के पत्र संख्या—37 दिनांक 28.02.2022 जिसमें जनपद बुलंदशहर में अनूपशहर सीवरेज योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद—बुलंदशहर द्वारा संचालित अवधि माह जून—2013 से माह फरवरी—2020 तक के बकाया विद्युत देयकों की धनराशि रु० 9,83,15,184.43 (रु० नौ करोड़ तिरासी लाख पंद्रह हजार एक सौ चौरासी एवं तेतांलीस पैसे मात्र) के सत्यापन/भुगतान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

मा० अध्यक्ष, समिति द्वारा सदस्य सचिव को निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को उक्त प्रकरण पर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को सीधे प्रेषित किये जाने हेतु पत्र सदस्य सचिव के स्तर से जारी किया जाये। साथ ही प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को निर्देश दिये गये कि विद्युत बीजक के भुगतान की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराकर सम्बन्धित एस०टी०पी०/एस०पी०एस० पर हुये विद्युत विच्छेदन का कनेक्शन शीघ्र चालू करा दिया जाये।

मा० अध्यक्ष, समिति द्वारा उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि अनूपशहर सीवरेज योजना में विगत 2 वर्षों से अधिक समय से विच्छेदन होने के उपरान्त जनरेटर से एस०टी०पी० का संचालन किया जा रहा है जो पर्यावरण के दृष्टि से कदापी उचित नहीं है। अतः इसकी जाँच करा ली जाये कि इतने लम्बे समय से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की कार्यवाही वर्षों नहीं की गयी तथा इस प्रकरण पर उत्तरदायित्व निर्धारण करें।

मा० अध्यक्ष, समिति द्वारा सदस्य सचिव— मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल को निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक को औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु पत्र सदस्य सचिव के स्तर से प्रेषित किया जाये साथ ही प्रबन्ध निदेशक को निर्देश दिये गये कि विद्युत बौजक का भुगतान पूर्ण होने के पश्चात् कनेक्शन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

(कार्यवाही:-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम— नगरीय)

अन्य एजेन्डा (xii.ii) मेसर्स तोशिबा वॉटर सॉल्यूशन्स प्रा०लि० द्वारा मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत वार्षिक (मासिक किश्तों) जमा की जाने वाली कुल धनराशि रु० 7.00 करोड़ को कम करने हेतु अनुरोध किया गया था जिस पर निर्णय लिये जाने के लिए दिनांक 14.12.2021 की बैठक में मा० समिति अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था।

सदस्य—सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कमेटी की बैठक अभी तक सम्पन्न नहीं हो सकी है।

मा० समिति के अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक से पूर्व उक्त कमेटी बैठक कर मेसर्स तोशिबा वॉटर सॉल्यूशन्स प्रा०लि० द्वारा मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत वार्षिक (मासिक किश्तों) जमा की जाने वाली कुल धनराशि रु० 7.00 करोड़ के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष्मी०) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय एवं श्री आर०के० पंकज, अधी०अभि०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)

सदस्य—सचिव

मुख्य अभियन्ता,

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत)

अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश

सदस्य

उप/सहायक निदेशक, लेखा,

नगरीय निकाय निदेशालय,

उ०प्र०, लखनऊ

सदस्य—सचिव

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

सदस्य
निदेशक नगरीय निकाय
निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ

सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

अध्यक्ष

अपर मुख्य सचिव,

नगर विकास विभाग, उ०प्र०

शासन